भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1885
सोमवार, 14 मार्च, 2022/23 फाल्गुन, 1943 (शक)

बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामले

1885. श्री धर्मवीर सिंहः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में बेरोजगारी के कारण अनेक लोग आत्महत्या कर रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार आत्महत्या करने के कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं; और
(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय के प्रकाशन 'भारत में अकाल मृत्यु और आत्महत्या' (एडीएसआई) के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान बेरोजगारी के कारण दर्ज की गई आत्महत्याओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध में दी गई है।

(ग): मानसिक विकारों के भार को दूर करने के लिए सरकार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) का कार्यान्वयन कर रही है और एनएमएचपी के तहत देश के 692 जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के कार्यान्वयन का समर्थन कर रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य, आत्महत्या रोकथाम सेवाएं, कार्य स्थल तनाव प्रबंधन, स्कूलों तथा महाविद्यालयों में जीवन कौशल प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करना; जिला स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर रोकथाम, संवर्द्धन और दीर्घकालिक निरंतर देखभाल सहित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में सामुदायिक जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देना है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। 28.02.2022 तक 1.33 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 50.81 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 04.03.2022 तक 33.91 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया था ताकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। इस अभियान से 39,293 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ 50.78 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन हुआ है।

पीएम गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सात इंजनों, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित है। यह दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के विशाल अवसर पैदा होते हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर सतत ध्यान देने के मद्देनजर रेलवे, सड़क, शहरी परिवहन, बिजली, दूरसंचार, कपड़ा और किफायती आवास पर बल दिया है। बजट 2021-22 द्वारा 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई है। इन सभी पहलों से गुणक-प्रभावों के माध्यम से सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा देना अपेक्षित है।

भारत सरकार पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना शामिल है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति उन्मुख हैं।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 14.03.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1885 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2016 से 2020 तक बेरोजगारी के कारण दर्ज आत्महत्या के मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	दर्ज मामले				
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
आंध्र प्रदेश	36	55	44	71	88
अरुणाचल प्रदेश	1	0	6	0	0
असम	210	169	156	155	234
बिहार	0	6	0	8	12
छत्तीसगढ	45	9	34	16	23
गोवा	15	13	6	19	43
गुजरात	295	263	318	219	229
हरियाणा	50	36	154	13	27
हिमाचल प्रदेश	12	40	94	64	20
झारखंड	44	108	154	232	217
कर्नाटक	224	375	464	553	720
केरल	127	156	147	81	122
मध्य प्रदेश	100	49	44	57	65
महाराष्ट्र	403	379	394	452	625
मणिपुरी	0	0	1	3	1
मेघालय	4	1	4	7	8
मिजोरम	0	0	2	0	2
नागालैंड	5	0	1	1	2
ओड़िशा	88	21	34	17	6
पंजाब	22	23	26	74	105
राजस्थान	42	53	55	117	118
सिक्किम	7	13	8	12	9
तमिल नाडु	259	357	251	251	336
तेलंगाना	24	45	40	56	23
त्रिपुरा	34	0	0	0	12
उत्तर प्रदेश	76	58	63	156	227
उत्तराखंड	4	1	7	0	17
पश्चिम बंगाल	109	95	75	40	42
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	1	0	1	0
चंडीगढ़	8	1	14	9	11
दादरा एवं नगर हवेली	3	0	0	0	4
दमन और दीव	1	3	3	0	
दिल्ली (यूटी)	41	58	98	118	148
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	8	11	39	40	46
लद्दाख	-	-	-	-	0
पुदुचेरी	0	5	5	9	6
योग	**2298**	**2404**	**2741**	**2851**	**3548**

स्रोत: भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो